न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 33/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड पताः– 102 कंचन अपार्टमेंट अपोजिट एल.बी.एस. कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर, शाखा कार्यालय खण्डेला सीकर (राज.)।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. तारा चन्द मीणा पुत्र कन्हैया लाल मीणा, (ऋणी)
   पताः– वार्ड नं. 03, मीणो का मौहल्ला, ग्राम सुजाना, पोस्ट समर्थपुरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान– 332708।

2. सिमकोरी देवी पत्नी कन्हैया लाल, (सहऋणी/बंधककर्ता)
   पताः– वार्ड नं. 03, मीणो का मौहल्ला, ग्राम सुजाना, पोस्ट समर्थपुरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान– 332708।

3. बिमला देवी पत्नी तारा चन्द मीणा, (सहऋणी/बंधककर्ता)
   पताः– वार्ड नं. 03, मीणो का मौहल्ला, ग्राम सुजाना, पोस्ट समर्थपुरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान– 332708।

4. जितेन्द्र कुमार मीणा पुत्र तारा चन्द मीणा, (सहऋणी)
   पताः– वार्ड नं. 03, मीणो का मौहल्ला, ग्राम सुजाना, पोस्ट समर्थपुरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान– 332708।

5. जय सिंह मीणा पुत्र गिरधारी लाल मीणा, (जमानती)
   पताः–वार्ड नम्बर 08, शिव मंदिर सामने, ग्राम हमीरपुरा कलां, जिला सीकर राजस्थान

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

Web Copy Not Official

ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

निर्णय

निर्णय दिनांकः29 जुलाई, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **महेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **तारा चन्द मीणा, सिमकोरी देवी, बिमला देवी, जितेन्द्र कुमार मीणा, जय सिंह मीणा** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **सिमकोरी देवी पत्नी कन्हैया लाल व बिमला देवी पत्नी तारा चन्द मीणा की सम्पति जो कि प्लॉटस ग्राम सुजाना, तसील खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसनी माप कमशः 225 वर्गमीटर व 182.25 वर्गमीटर है। पहला प्लॉट बिमला देवी पत्नी तारा चन्द मीणा जिसकी माप 225 वर्गमीटर है, जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में सिमकोरी का घर, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में महावीर व सोनाराम का बाड़ा स्थित है तथा दूसरा प्लॉट जो सिमकोरी देवी के नाम है, जिसकी माप 182.25 वर्गमीटर है जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में बिमला देवी का बाड़ा, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में तारा चन्द मीणा का घर स्थित है,** को बंधक रखकर 10,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये **दस लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **25.02.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **25.02.2019** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर समाचार पत्र मे प्रकाशित किया गया है, जिसकी फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के

जिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण तारा चन्द मीणा, सिमकोरी देवी, बिमला देवी, जितेन्द्र कुमार मीणा, जय सिंह मीणा की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक सिमकोरी देवी पत्नी कन्हैया लाल व बिमला देवी पत्नी तारा चन्द मीणा की सम्पति जो कि प्लॉटस ग्राम सुजाना, तसील खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसनी माप कमशः 225 वर्गमीटर व 182.25 वर्गमीटर है। पहला प्लॉट बिमला देवी पत्नी तारा चन्द मीणा जिसकी माप 225 वर्गमीटर है, जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में सिमकोरी का घर, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में महावीर व सोनाराम का बाड़ा स्थित है तथा दूसरा प्लॉट जो सिमकोरी देवी के नाम है, जिसकी माप 182.25 वर्गमीटर है जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में बिमला देवी का बाड़ा, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में तारा चन्द मीणा का घर स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक:29 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner